"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 जुलाई 2018 — आषाढ़ 16, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-2/2018/1 (एक). — माननीय न्यायाधिपति श्री अजय कुमार त्रिपाठी, न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय जिनकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के पद पर भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) की अधिसूचना क्रमांक के. 13016/01/2018-यू. एस. II, दिनांक 1 जुलाई, 2018 द्वारा की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 07 जुलाई, 2018 को अपरान्ह 02.00 बजे ग्रहण किया.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 5-2/2018/1 (एक).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07 जुलाई, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.

Naya Raipur, the 7th July 2018

NOTIFICATION

No. F 5-2/2018/1/One. — Hon'ble Justice Shri Ajay Kumar Tripathi Judge of the Patna High Court, who has been appointed as Chief Justice of Chhattisgarh High Court by the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Justice) Notification No. K.1 3016/01/2018-U. S. II, Dated 01st July, 2018 has assumed charge of the office on the 07th July, 2018 at 02:00 p.m.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REETA SHANDILYA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.